

राजस्व अपील संख्या 517/2022

अनवान
प्रकाश पुत्र भीयाराम बनाम राज्य

5-09-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना के द्वारा मुकदमा संख्या 13/2022 अनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार समदडी बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 07.07.2022 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार समदडी को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, समदडी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जाँच कर, मौका जाँच/मौका फर्द एवं मौका नक्शा तैयार कर उभय पक्षकारान की सुनवाई करने के पश्चात उक्त प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशों के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० संभागीय आयुक्त,
जोधपुर